रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230146
CG-DL-E-04102021-230146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3730] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943
No. 3730] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4064 (अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ.1364 (अ.), दिनांक 8 अप्रैल, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बारेल वन्यजीव अभयारण्य असम के कछार जिले और दीमा हसाओ जिले में भारतीय उप-क्षेत्र और इंडो-चीन उप क्षेत्र के बीच अन्तर्वर्ती जोन पर बारेल पहाड़ी श्रेणी में स्थित है, जो सिलचर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और दक्षिणी भाग से चाय बगानों से घिरा हुआ है;

और, असम राज्य के कछार जिले में स्थित बारेल वन्यजीव अभयारण्य बारेल रिज़र्व वन (89.7975 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल सहित सं.2337 आर तारीख 16 जून, 1902 के द्वारा आरक्षित वन रूप में अधिसूचित) और उत्तर कछार रिज़र्व वन (239.905 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल सहित सं. 5412 आर तारीख 15 दिसंबर, 1915 के द्वारा आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित) से युक्त है और अक्षांश 24°58' उ से 25°5' उ देशांतर और 92°46' से 92°52' पू की भौगोलिक सीमाओं में स्थित है और 326.255 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे असम सरकार की अधिसूचना सं. एफआरडब्ल्यू.11/2004/25 तारीख 19 जून, 2004 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है;

और, बारेल वन्यजीव अभयारण्य उत्तर-पूर्व भारत जैव-भौगोलिक जोन (9) के उत्तर पूर्व पहाड़ियों (9बी) में है और अभयारण्य पूर्व व्युत्पत्ति के भारत उप-क्षेत्र और इंडो-चीन उपक्षेत्र के बीच अन्तर्वर्ती जोन पर स्थित है, और चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार वन प्रकार में 1 बीसी 3-कछार उष्णकटिबंधी अर्ध सदाहरित, आर्द्र सदा हरित केन ब्रेकस् (1बीसी3ई1), माकरंगो मल्लोटस् ट्रेमा संबंध (1/2एस1), आर्द्र बांस ब्रेकस (2/2एस1), उष्णकटिबंधी पहाड़ी घाटी दलदल वन (आई/एस2) और बरिंगटोनिया दलदल वन (एसएस2) शामिल हैं;

और, बारेल वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पति जैव-विविधता में वृक्षों की 81 प्रजातियां और बांस की 8 प्रजातियां और जड़ी-बूटी और झाड़ियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। बारेल वन्यजीव अभयारण्य में उपलब्ध वनस्पति की कुछ प्रजातियां में ***एक्यूलारिया एगाल्लोचा*** (अगर), *स्पोंडिया मैंगेफेरा* (अमोरा), *विटेक्स प्रजाति* (अवल), *इल्कोकाप्ररू ग्लोरिबंदुस* (जलपाई), *सैपियम बाक्कातम* (बेल्ला), *एल्स्टोनिया स्कॉलारिस* (चैटिम), *हिबिस्कस मैक्रोफुल्लुस* (चामिया), *आर्टोकार्पुस लाकूचा* (देवा), *डिप्टेरोकार्पुस तुरबुनातुस* (गरजान), *टर्मिनालिया चेबुला* (हरतकी), *बैरिंटोनिया एकुटांगुला* (हिजाल), *स्टेर्कुलिया अलाटा* (जंगली बादाम), *पोडोकार्पुस नेरिफोलिया* (जिनारी), *गेरूगो पिन्नाटा* (कयेंगला), *आर्टोकार्पुस इंटीग्रिफोलिया* (कटाल), *फ्लाकोउर्टिया कटाफराक्ट्* (लुकुकी), *अल्बिज्जिया स्पा* (मोराई), *साइनोमेट्रा पोल्यांड्रा* (पिंग), *अमोरा वाल्लिचि* (राटा), *अल्बिज्जिया प्रोकेरा* (सिरिस), *लोफोफेटालुम फिम्बरियातुम* (सुत्रोंग), आदि हैं;

और, बारेल वन्यजीव अभयारण्य असम की बराक घाटी में एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जहां समृद्ध जैव-विविधता और वन्यजीवों के लिए वास है और अन्य जीवों के साथ साथ स्तनधारियों की 19 प्रजातियों, प्राइमेट की 8 प्रजातियों, पक्षियों की 250 प्रजातियों, उभयचरों की 23 प्रजातियों और सरीसृपों की 43 प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जो कि विश्व व्यापी रूप से दुर्लभ, अतिसंवेदनशील और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। बारेल वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य जीवजंतु *मानिस पेंटाडैक्टाइला* (चीनी पैंगोलिन), *पटेरोपुस गिगांटेउस* (उड़न गिलहरी), *नयक्टिचुस कौकांग* (स्लो लोरिस), *मकाक आर्क्टोइड्स* (स्टम्प टैल्ड मैकाक), *मकाक नेमेस्टरिना* (पिंग टेल्ड मकाक्यू), *मकाका एस्सामेंसिस* (असमी मकाक), *मकाना मुलाट्टा* (रीसस मकाक), *प्रेस्बिटिस पिलेअतुस* (कैप्पेड लंगूर), *होल्यबाटेस हूलॉक* (हूलॉक गिब्बोन), *उर्सुस थिबेटानुस* (एशियाई काला भालू), *अरक्टोनिक्स कोल्लारिस* (होग बेजर), *फेलिस चाउस* (जंगली बिल्ली), एफ.*बेंगालेंसिस* (तेंदुआ बिल्ली), एफ. *विवेर्रिनुस* (फिशिंग बिल्ली), एफ. *मार्मोराटा* (मारब्लेड बिल्ली), एफ. *टेंमिंचि* (गोल्डन बिल्ली), *नेओइफेलिस नेबुलोसा* (क्यूडेड तेंदुआ), *पेन्थेरा प्रड्यूस* (तेंदुआ), *सुस स्क्रोफा* (जंगली सुअर), केपरीकोर्निस *सुमात्राएंसिस* (सेरोव), *रतुफा बिकोलोउर* (मालायन जिआंट गिलहरी), *कल्लोस्किउरूस पाइगेरिथ्रस* (इर्राबैडी या हिमालयन होर्नय-बेल्लिइड गिलहरी), *रहीजोम्यस परूइनासुस* (होअरय बाम्बू बिल्ली), *हाइटिक्स ब्राच्यराना* (क्रेस्टलेस्स हिमालयन साही), *रोउसेट्टास उसेहेनाउल्टी* (फ्रूट बेट), *मुस बूडुया* (फिल्ड माउस), *ब्लांड्स ब्लांडफोरडी* (वुड रैट), *विवेर्रा जिबेथा* (भारतीय सिवेट), *केरवुस यूनिकोटोर* (साम्बर), *कन्नोमयस बाडिउस* (बम्बू रेट), *तलपा मिकरूरा* (मोल), *केरवुस पोर्सिनस* (हॉग डियर), *नेमोरहाक्ड्स स्प्पा.* (घोरल), *कैनिस ऑवेनुस* (सियार), *लुत्रा लुत्रा* (सामान्य ओटर), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, बारेल वन्यजीव अभयारण्य अत्यधिक अनुसंधान, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक मूल्य रखता है और सीमांत क्षेत्रों में जैविक दबाव में वृद्धि अभयारण्य के वास को प्रभावित कर सकती है;

और, बारेल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र, विस्तार और सीमाएं जिसे पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है, सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के कछार जिले में बारेल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को बारेल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बारेल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 596.311 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में मेघालय राज्य के साथ अंतर-राज्यीय सीमा के कारण संरक्षित क्षेत्र से पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार सीमित करने को प्रमुख रूप से उचित ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र सीमा के निकटस्थ में तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति और प्रत्याशित है, जिसके मद्देनज़र तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज और ड्रिलिंग के लिए उपायों को अनुलग्नक–V में निर्धारित किया गया है।

(2) बारेल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए बारेल वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक–IIक** और **अनुलग्नक –IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) बारेल वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित करवाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण और वन;

(ii) पर्यटन;

(iii) कृषि

(iv) बागवानी;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) लोक निर्माण विकास;

(viii) शहरी विकास;

(ix) ग्रामीण विकास;

(x) जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सहायक मानचित्रों के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग) –.**क (पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण से पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी;।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो ,किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह ,पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –.**पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा। (7) **वायु प्रदूषण-.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण-.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों ,जो भी अधिक कठोर हो ,के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-.** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन)ईएसएम (अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** -.जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन -.पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन ,भारत सरकार के पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि340 (अ(, तारीख 18मार्च ,2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहन-यातायात.- वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन,2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006शामिल है, सहित वन) संरक्षण (अधिनियम, 1980(1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927का16), वन्यजीव) संरक्षण (अधिनियम 1972 ,(1972का53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**विवरण** **(3)**
		क . प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन , मृदा उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	नई आरा मिलों विनर मिलों एवं अन्य, काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार के लिए अनुमति नहीं होगी ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परंतु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
5.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
6.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
12.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण

		क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	सतही और भू जल का वाणिज्यिक रूप से निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में शोधित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण।	जल निकायों में शोधित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा शोधित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी ,2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग ,कृषि ,पुष्प कृषि ,बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	सुरक्षा बल शिविर या सेना प्रतिष्ठान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों ,नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।

28.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित)अन्यथा प्रदान किए गए (होंगे।
29.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुला कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन हेतु पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	कृषि व्यवस्था में परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
35.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस ,सौर प्रकाश ,इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

	की बहाली ।	
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	उपायुक्त, कछार	अध्यक्ष ,*पदेन*;
(ii)	प्रमुख सचिव (एन), उत्तर कछार पहाड़ी स्वायत्तशासी परिषद, हाफलोंग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	संभागीय वनाधिकारी, करीमगंज संभाग	सदस्य, *पदेन*;
(iv)	संभागीय वनाधिकारी, दिमा हसाओ (पश्चिम) वन संभाग	सदस्य, *पदेन*;
(v)	क्षेत्रीय पूर्व अभियंता, आरएलओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिलचर	सदस्य, *पदेन*;
(vi)	उप मुख्य अभियंता, एन.एफ. रेलवे, सिलचर	सदस्य, *पदेन*;
(vii)	कार्यपालक अभियंता, एन.एच. संभाग, सिलचर	सदस्य, *पदेन*;
(viii)	जिला परिवहन अधिकारी, कछार	सदस्य, *पदेन*;
(ix)	जिला कृषि अधिकारी, कछार	सदस्य, *पदेन*;
(x)	जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, कछार	सदस्य, *पदेन*;
(xi)	जिला मत्स्य विकास अधिकारी, कछार	सदस्य, *पदेन*;
(xii)	महाप्रबंधक, डीआईसीसी, कछार	सदस्य, *पदेन*;
(xiii)	राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(xiv)	राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण एवं विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत) का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xv)	संभागीय वनाधिकारी, कछार संभाग	सदस्य-सचिव, *पदेन*

6.विचारार्थ विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) ऐसे क्रियाकलापों जिन्हें भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्तों ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक VI में दिए गए प्रपत्र के अनुसार ,उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ,अतिरिक्त उपाय ,यदि कोई हों ,विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

अनुलग्नक- I

असम राज्य में बारेल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व: पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 1 (92° 52' 36.494" पू, 25° 5' 2.012" उ), से आरंभ होती है, जी.पी.एस बिंदु सं. 1 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 2 (92° 53' 8.792" पू 25° 4' 42.736" उ) से 15 (92° 52' 41.651" पू 24° 57' 37.742" उ) को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं.16 (92° 52' 14.279" पू, 24° 57' 12.998" उ) से मिलती है।

दक्षिण: जी.पी.एस बिंदु सं. 16 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 17 (92° 51' 37.015" पू 24° 57' 3.113" उ) से 26 (92° 46' 4.803" पू 24° 57' 33.555" उ), को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं.27 (92° 45' 27.423" पू, 24° 57' 41.195" उ). से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 27 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 28 को पार करके उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 29 (92° 45' 23.668" पू, 24° 59' 2.527" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 29 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं.30 (92° 45' 14.741" पू 24° 59' 4.976" उ) से 36 (92° 44' 51.882" पू 25° 0' 25.316" उ) को पार करके राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं.37 (92° 45' 13.615" पू, 25° 0' 37.617" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 37 से सीमा जतींगा नदी को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 38 (92°

44' 56.565" पू, 25° 0' 43.941" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं.38 से सीमा एन एफ रेलवे के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं.39 (92° 44' 13.767" पू, 25° 0' 31.680" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 39 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 40 (92° 43' 46.943" पू 25° 1' 5.416" उ) से 52 (92° 37' 43.348" पू 24° 59' 57.798" उ) को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 53 (92° 36' 47.973" पू, 25° 0' 9.067" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 53 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 54 को पार करके लारंग नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 55 (92° 37' 14.070" पू, 25° 0' 34.279" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 55 से सीमा लारंग नदी को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 56 (92° 37' 6.727" पू, 25° 0' 36.774" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 56 से सीमा लारंग नदी के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 57 (92° 36' 53.661" पू, 25° 0' 12.418" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 57 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 58 (92° 36' 15.937" पू 25° 0' 19.032" उ) से 66 (92° 31' 44.823" पू 25° 0' 15.833" उ) को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 67 (92° 30' 46.097" पू, 25° 0' 52.365" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 67 से सीमा गुमरा नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 68 (92° 31' 5.141" पू, 25° 1' 24.051" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 68 से सीमा गुमरा नदी को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 69 (92° 31' 2.780" पू, 25° 1' 28.344" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 69 से सीमा गुमरा नदी के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 70 (92° 30' 40.834" पू, 25° 0' 58.514" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 70 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 71 (92° 30' 35.137" पू 25° 1' 6.428" उ) से 74 (92° 28' 44.892" पू 25° 0' 9.740" उ) को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 75 (92° 27' 45.539" पू, 25° 0' 22.020" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं.75 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 76 को पार करके नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 77 (92° 28' 4.944" पू, 25° 0' 53.762" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 77 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 78 (92° 27' 25.103" पू 25° 1' 1.606" उ) से 80 (92° 26' 9.859" पू 25° 0' 25.834" उ) को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 81 (92° 25' 32.166" पू, 25° 0' 30.823" उ) से मिलती है।

पश्चिम: जी.पी.एस बिंदु सं. 81 से सीमा उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 82 (92° 25' 33.749" पू, 25° 1' 6.598" उ) **से मिलती है जो कि वन्यजीव अभयारण्य सीमा में स्थित है।** जी.पी.एस बिंदु सं. 82 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 83 (92° 25' 37.675" पू 25° 1' 31.338" उ) **से** 98 (92° 28' 47.001" पू 25° 5' 53.586" उ) **को पार करके वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और** जी.पी.एस बिंदु सं. 99 (92° 28' 49.357" पू, 25° 6' 28.548" उ) **से मिलती है।**

उत्तर: जी.पी.एस बिंदु सं. 99 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 100 (92° 29' 23.829" पू 25° 6' 30.282" उ) **से** जी.पी.एस बिंदु सं. 104 (92° 31' 44.497" पू 25° 6' 6.968" उ) **को पार करके वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और** जी.पी.एस बिंदु सं. 105 (92° 32' 20.447" पू, 25° 5' 56.518" उ) **से मिलती है।** जी.पी.एस बिंदु सं. 105 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. बिंदु सं. 106 (92° 32' 5.614" पू 25° 6' 27.267" उ **और**107 (92° 31' 43.301" पू 25° 6' 55.658" उ) **को पार करके उत्तर की ओर जाती है और** जी.पी.एस बिंदु सं. 108 (92° 31' 27.517" पू, 25° 7' 25.644" उ) **से मिलती है।** जी.पी.एस बिंदु सं. 108 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 109 (92° 32' 4.944" पू 25° 7' 15.835" उ) **से** 141(92° 48' 17.352" पू 25° 6' 0.581" उ) **को पार करके पूर्व की ओर जाती है और** जी.पी.एस बिंदु सं. 142 (92° 48' 40.105" पू, 25° 5' 44.923" उ) **से मिलती है।** जी.पी.एस बिंदु सं. 142 से सीमा एन एफ रेलवे के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 143 (92° 48' 5.994" पू, 25° 5' 29.238" उ) **से मिलती है।** जी.पी.एस बिंदु सं. 143 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 144 (92° 48' 48.355" पू 25° 5' 8.464" **उ) से** 150 (92° 51' 57.942" पू 25° 5' 6.062" उ) **को पार करके पूर्व की ओर जाती है और अंतत**: जी.पी.एस बिंदु सं. 1 (92° 52' 36.494" पू, 25° 5' 2.012" उ) **से मिलती है।**

अनुलग्नक - IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित बारेल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

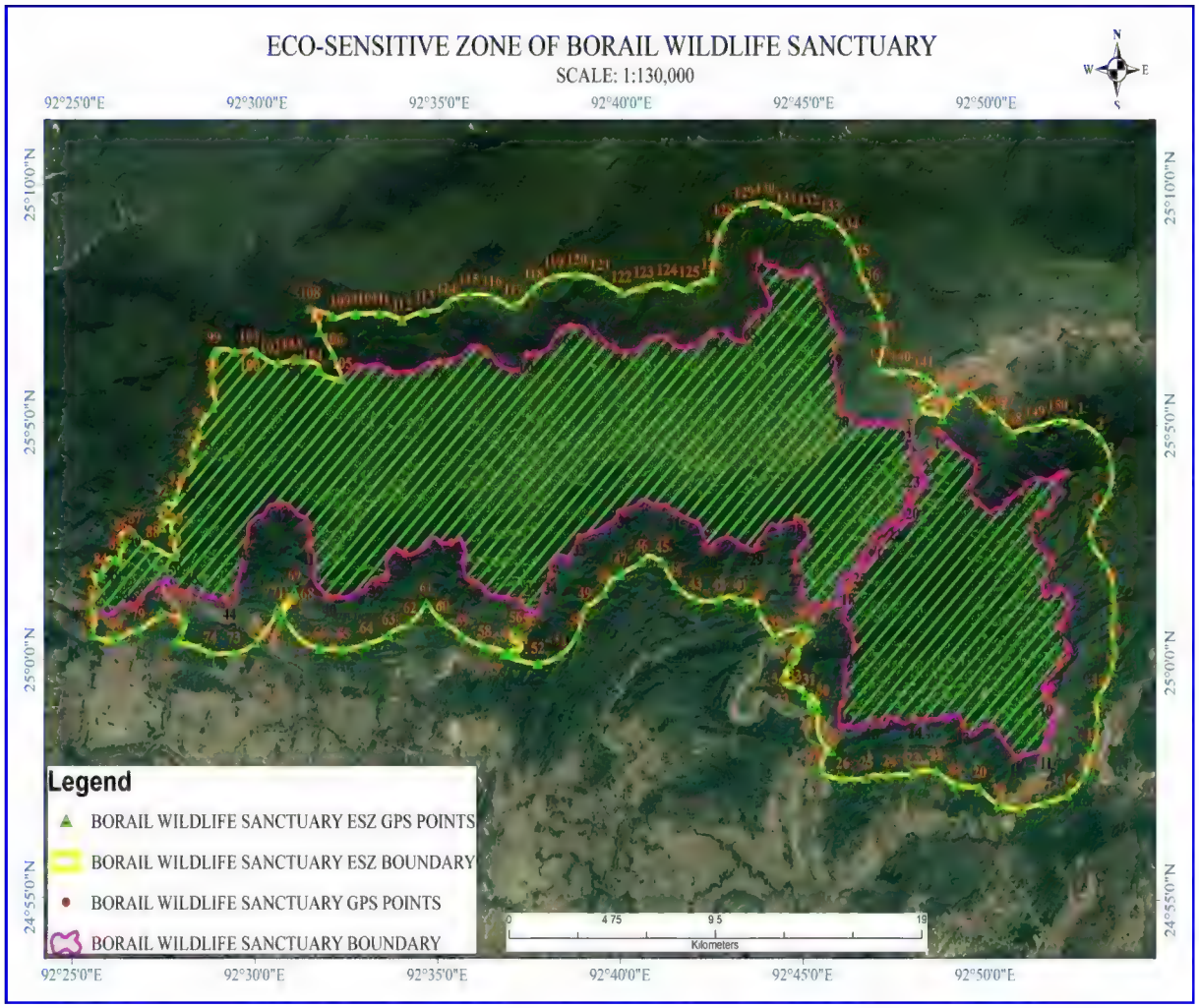

अनुलग्नक- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित बारेल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

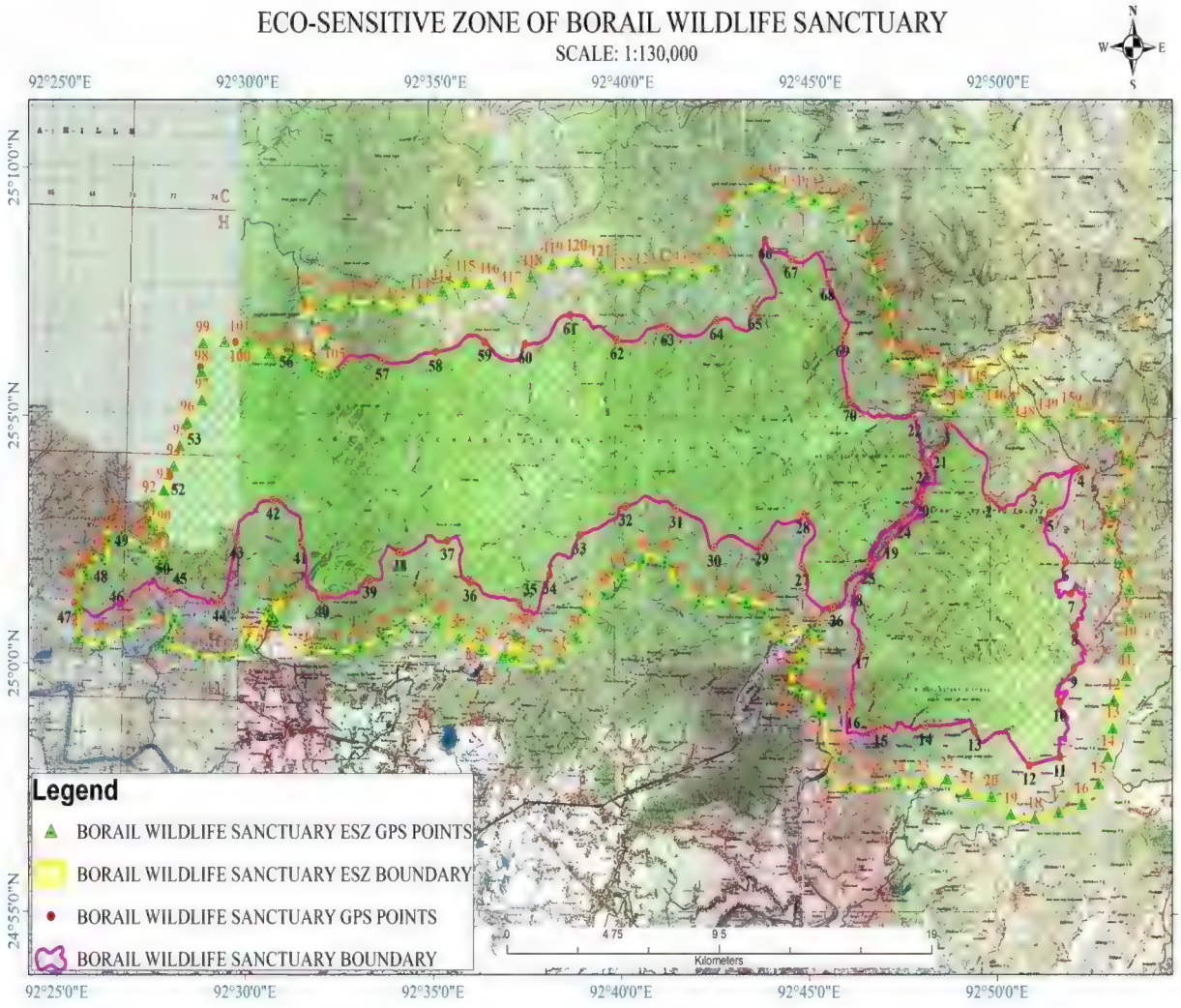

अनुलग्नक-III

सारणी क: बारेल वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	92.8103250853253	25.0811717867431
2	92.8278382333771	25.0705121586135
3	92.8348438255207	25.0526187570534
4	92.8704403390821	25.0663251715014
5	92.8587021036775	25.039924923856
6	92.8701464205363	25.0173767687713
7	92.86078392993	24.990301208649
8	92.8618432963257	24.9696189582404
9	92.8259132104136	24.9742581806827
10	92.7676637652576	24.9767554371897
11	92.7711964187208	25.0119477289407
12	92.7887109000538	25.0441231482696
13	92.8052076257981	25.0616969423759
14	92.7959957753587	25.0837929916616
15	92.8008385118761	25.0625885274598
16	92.7782103299885	25.0395786858455
17	92.7608555440513	25.019694390066
18	92.7473864187203	25.0510185071123
19	92.7065121989305	25.0393583227672
20	92.6656183323375	25.0527776498989
21	92.6445699692625	25.0359496801513

22	92.6281045096891	25.0171516106786
23	92.5704400016235	25.0369285147071
24	92.5269245368196	25.0346656710117
25	92.4992545380565	25.0489394651232
26	92.4874517072548	25.0204585888499
27	92.4600795185805	25.0354497206333
28	92.4658909039974	25.0630623815299
29	92.4776240927393	25.0859649218181
30	92.4807465735694	25.1092242063029
31	92.513464371296	25.1044659518908
32	92.5556999427585	25.1037232295053
33	92.5987833917794	25.1103107306561
34	92.6335976279088	25.1096734635616
35	92.6661219999337	25.1089305433045
36	92.7074177796566	25.1154697456905
37	92.7342339148554	25.1236548385221
38	92.7294745003673	25.1431365737677
39	92.7578414887148	25.1290257518136
40	92.7642157579866	25.101496722367

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश	जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	92° 52' 36.494" पू	25° 5' 2.012" उ	76	92° 27' 55.638" पू	25° 0' 32.771" उ
2	92° 53' 8.792" पू	25° 4' 42.736" उ	77	92° 28' 4.944" पू	25° 0' 53.762" उ
3	92° 53' 25.796" पू	25° 4' 11.199" उ	78	92° 27' 25.103" पू	25° 1' 1.606" उ
4	92° 53' 22.324" पू	25° 3' 36.205" उ	79	92° 26' 46.110" पू	25° 0' 37.842" उ
5	92° 52' 59.806" पू	25° 3' 7.679" उ	80	92° 26' 9.859" पू	25° 0' 25.834" उ
6	92° 52' 55.195" पू	25° 2' 35.101" उ	81	92° 25' 32.166" पू	25° 0' 30.823" उ
7	92° 53' 15.572" पू	25° 2' 6.206" उ	82	92° 25' 33.749" पू	25° 1' 6.598" उ
8	92° 53' 29.881" पू	25° 1' 33.471" उ	83	92° 25' 37.675" पू	25° 1' 31.338" उ
9	92° 53' 29.134" पू	25° 0' 58.091" उ	84	92° 25' 43.997" पू	25° 1' 48.068" उ
10	92° 53' 30.771" पू	25° 0' 23.851" उ	85	92° 26' 8.796" पू	25° 2' 6.954" उ
11	92° 53' 25.037" पू	24° 59' 49.032" उ	86	92° 26' 19.531" पू	25° 2' 30.403" उ
12	92° 53' 5.387" पू	24° 59' 18.756" उ	87	92° 26' 40.117" पू	25° 2' 39.976" उ
13	92° 53' 3.907" पू	24° 58' 45.309" उ	88	92° 27' 10.126" पू	25° 2' 22.498" उ
14	92° 52' 56.020" पू	24° 58' 10.671" उ	89	92° 27' 46.327" पू	25° 2' 11.322" उ
15	92° 52' 41.651" पू	24° 57' 37.742" उ	90	92° 27' 45.819" पू	25° 2' 39.117" उ
16	92° 52' 14.279" पू	24° 57' 12.998" उ	91	92° 27' 25.048" पू	25° 2' 47.751" उ
17	92° 51' 37.015" पू	24° 57' 3.113" उ	92	92° 27' 28.238" पू	25° 3' 14.578" उ
18	92° 50' 58.940" पू	24° 56' 55.499" उ	93	92° 27' 47.208" पू	25° 3' 30.176" उ
19	92° 50' 20.854" पू	24° 57' 0.856" उ	94	92° 28' 2.951" पू	25° 3' 59.265" उ
20	92° 49' 50.054" पू	24° 57' 22.305" उ	95	92° 28' 12.912" पू	25° 4' 23.675" उ
21	92° 49' 12.146" पू	24° 57' 25.883" उ	96	92° 28' 24.232" पू	25° 4' 52.730" उ
22	92° 48' 38.965" पू	24° 57' 43.551" उ	97	92° 28' 48.003" पू	25° 5' 19.475" उ
23	92° 48' 0.534" पू	24° 57' 39.443" उ	98	92° 28' 47.001" पू	25° 5' 53.586" उ
24	92° 47' 21.895" पू	24° 57' 36.729" उ	99	92° 28' 49.357" पू	25° 6' 28.548" उ
25	92° 46' 43.596" पू	24° 57' 34.334" उ	100	92° 29' 23.829" पू	25° 6' 30.282" उ
26	92° 46' 4.803" पू	24° 57' 33.555" उ	101	92° 30' 0.007" पू	25° 6' 29.812" उ
27	92° 45' 27.423" पू	24° 57' 41.195" उ	102	92° 30' 35.019" पू	25° 6' 16.625" उ
28	92° 45' 46.603" पू	24° 58' 8.537" उ	103	92° 31' 12.428" पू	25° 6' 21.087" उ
29	92° 45' 23.668" पू	24° 59' 2.527" उ	104	92° 31' 44.497" पू	25° 6' 6.968" उ
30	92° 45' 14.741" पू	24° 59' 4.976" उ	105	92° 32' 20.447" पू	25° 5' 56.518" उ
31	92° 45' 3.061" पू	24° 59' 18.541" उ	106	92° 32' 5.614" पू	25° 6' 27.267" उ
32	92° 44' 44.276" पू	24° 59' 32.038" उ	107	92° 31' 43.301" पू	25° 6' 55.658" उ
33	92° 44' 27.340" पू	24° 59' 40.413" उ	108	92° 31' 27.517" पू	25° 7' 25.644" उ
34	92° 44' 38.013" पू	24° 59' 58.342" उ	109	92° 32' 4.944" पू	25° 7' 15.835" उ
35	92° 44' 47.980" पू	25° 0' 9.136" उ	110	92° 32' 42.294" पू	25° 7' 19.103" उ
36	92° 44' 51.882" पू	25° 0' 25.316" उ	111	92° 33' 21.258" पू	25° 7' 19.665" उ
37	92° 45' 13.615" पू	25° 0' 37.617" उ	112	92° 33' 58.802" पू	25° 7' 10.746" उ

38	92° 44' 56.565" पू	25° 0' 43.941" उ	113	92° 34' 35.798" पू	25° 7' 21.672" उ
39	92° 44' 13.767" पू	25° 0' 31.680" उ	114	92° 35' 11.623" पू	25° 7' 32.394" उ
40	92° 43' 46.943" पू	25° 1' 5.416" उ	115	92° 35' 48.208" पू	25° 7' 43.606" उ
41	92° 43' 17.664" पू	25° 1' 17.889" उ	116	92° 36' 26.995" पू	25° 7' 40.993" उ
42	92° 42' 40.997" पू	25° 1' 18.928" उ	117	92° 37' 2.146" पू	25° 7' 30.644" उ
43	92° 42' 2.362" पू	25° 1' 19.652" उ	118	92° 37' 32.932" पू	25° 7' 50.176" उ
44	92° 41' 29.234" पू	25° 1' 37.743" उ	119	92° 38' 7.573" पू	25° 8' 6.111" उ
45	92° 41' 7.763" पू	25° 2' 6.535" उ	120	92° 38' 46.415" पू	25° 8' 9.058" उ
46	92° 40' 33.364" पू	25° 2' 6.943" उ	121	92° 39' 24.591" पू	25° 8' 2.415" उ
47	92° 39' 59.118" पू	25° 1' 50.053" उ	122	92° 39' 59.581" पू	25° 7' 47.013" उ
48	92° 39' 31.196" पू	25° 1' 27.344" उ	123	92° 40' 36.055" पू	25° 7' 53.240" उ
49	92° 39' 0.142" पू	25° 1' 6.780" उ	124	92° 41' 14.706" पू	25° 7' 56.339" उ
50	92° 38' 47.197" पू	25° 0' 33.358" उ	125	92° 41' 51.260" पू	25° 7' 53.604" उ
51	92° 38' 20.299" पू	25° 0' 8.061" उ	126	92° 42' 28.373" पू	25° 8' 4.263" उ
52	92° 37' 43.348" पू	24° 59' 57.798" उ	127	92° 42' 33.874" पू	25° 8' 38.596" उ
53	92° 36' 47.973" पू	25° 0' 9.067" उ	128	92° 42' 46.806" पू	25° 9' 11.802" उ
54	92° 37' 7.761" पू	25° 0' 9.793" उ	129	92° 43' 16.369" पू	25° 9' 34.435" उ
55	92° 37' 14.070" पू	25° 0' 34.279" उ	130	92° 43' 54.497" पू	25° 9' 40.175" उ
56	92° 37' 6.727" पू	25° 0' 36.774" उ	131	92° 44' 30.617" पू	25° 9' 27.783" उ
57	92° 36' 53.661" पू	25° 0' 12.418" उ	132	92° 45' 6.073" पू	25° 9' 24.510" उ
58	92° 36' 15.937" पू	25° 0' 19.032" उ	133	92° 45' 43.832" पू	25° 9' 17.019" उ
59	92° 35' 39.661" पू	25° 0' 31.732" उ	134	92° 46' 12.894" पू	25° 8' 53.779" उ
60	92° 35' 6.692" पू	25° 0' 50.400" उ	135	92° 46' 30.329" पू	25° 8' 22.183" उ
61	92° 34' 39.797" पू	25° 1' 13.790" उ	136	92° 46' 46.919" पू	25° 7' 50.366" उ
62	92° 34' 13.246" पू	25° 0' 48.335" उ	137	92° 47' 6.783" पू	25° 7' 19.919" उ
63	92° 33' 38.287" पू	25° 0' 33.544" उ	138	92° 47' 12.059" पू	25° 6' 44.985" उ
64	92° 33' 1.680" पू	25° 0' 22.266" उ	139	92° 47' 3.693" पू	25° 6' 10.628" उ
65	92° 32' 23.732" पू	25° 0' 15.179" उ	140	92° 47' 39.396" पू	25° 6' 7.490" उ
66	92° 31' 44.823" पू	25° 0' 15.833" उ	141	92° 48' 17.352" पू	25° 6' 0.581" उ
67	92° 30' 46.097" पू	25° 0' 52.365" उ	142	92° 48' 40.105" पू	25° 5' 44.923" उ
68	92° 31' 5.141" पू	25° 1' 24.051" उ	143	92° 48' 5.994" पू	25° 5' 29.238" उ
69	92° 31' 2.780" पू	25° 1' 28.344" उ	144	92° 48' 48.355" पू	25° 5' 8.464" उ
70	92° 30' 40.834" पू	25° 0' 58.514" उ	145	92° 49' 10.392" पू	25° 5' 31.664" उ
71	92° 30' 35.137" पू	25° 1' 6.428" उ	146	92° 49' 32.006" पू	25° 5' 42.032" उ
72	92° 29' 59.312" पू	25° 0' 22.815" उ	147	92° 50' 14.485" पू	25° 5' 13.263" उ
73	92° 29' 23.780" पू	25° 0' 9.163" उ	148	92° 50' 42.554" पू	25° 4' 49.403" उ
74	92° 28' 44.892" पू	25° 0' 9.740" उ	149	92° 51' 20.239" पू	25° 4' 58.125" उ
75	92° 27' 45.539" पू	25° 0' 22.020" उ	150	92° 51' 57.942" पू	25° 5' 6.062" उ

अनुलग्नक-IV

भू-निर्देशांकों सहित बारेल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम/चाय बगान के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	इंन्द्रानगर	24⁰ 59'12.1" उ	92⁰ 51'50.0" पू
2	सीरिस्थल	24⁰ 57'51.8" उ	92⁰ 51'31.3" पू
3	सत्यनगर	24⁰ 58'07.5" उ	92⁰ 51'58.1" पू
4	मुलदम पुंजी	24⁰ 57'32.4" उ	92⁰ 52'12.6" पू
5	गर्मादिसा	24⁰ 57'24.4" उ	92⁰ 51'12.7" पू
6	तेलाचेर्रा	24⁰ 58'19.4" उ	92⁰ 47'54.0" पू
7	मरवाचेर्रा	24⁰ 58'22.3" उ	92⁰ 46'02.0" पू
8	देविनाला	25⁰ 02'31.3" उ	92⁰ 47'01.7" पू
9	कचुखाल	25⁰ 01'02.5" उ	92⁰ 46'11.8" पू
10	दुरबिन टीला	25⁰ 01'58.9" उ	92⁰ 46'41.6" पू
11	दुर्गाचेर्रा	25⁰ 01'28.2" उ	92⁰ 46'16.9" पू
12	बन्देरखाल	25⁰ 03'28.1" उ	92⁰ 48'08.2" पू
13	हनुमानथल	25⁰ 00'17.8" उ	92⁰ 31'48.5" पू
14	राजीब नगर	25⁰ 01'22.0" उ	92⁰ 28'14.3" पू
15	बोलाचेर्रा	25⁰ 00'40.8" उ	92⁰ 33'45.8" पू
16	नई मालीधर, मालीधर	25⁰ 01'40.8" उ	92⁰ 27'42.9" पू
17	मकीचेर्रा, इसाचेर्रा	25⁰ 01'14.4" उ	92⁰ 30'88.3" पू
18	लखीचेर्रा	25⁰ 01'20.4" उ	92⁰ 29'13.1" पू
19	अमरनगर चाय बगान	24⁰ 58'28.5" उ	92⁰ 52'01.0" पू
20	दामचेर्रा चाय बगान	25⁰ 00'44.0" उ	92⁰ 45'08.9" पू
21	गुमराह चाय बगान	25⁰ 00'59.6" उ	92⁰ 28'10.3" पू

अनुलग्नक-V

प्रयोक्ता एजेंसियो के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों ओर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज और खुदाई के उपाय संबंधी दिशा-निर्देश

1. संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र, इंडो-बर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित भारतीय पक्षी क्षेत्र (आईबीए) में जैव विविधता प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाना है। यह अध्ययन संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के पर्यावरण और वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से कराया जाना है, जिसमें महत्त्वपूर्ण स्थलीय और जलीय वनस्पतियों और जीवजंतुओं को तथा गांगेय डॉल्फिन, एशियाई हाथी, गैडों, बाघ, तेंदुए, एशियाई वन्य भैंस, पूर्वी स्वैम्प डियर आदि जैसी प्रमुख प्रजातियों को शामिल किया जाएगा।
2. राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के परिसरों को उनके चारों ओर 10 फीट ऊंचे बैरिकेड लगाकर कवर किया जाना है और चेन लिंक बाड़ एवं विद्युत बाड़ एवं स्थानीय फलदार पेड़ों और अन्य स्थानीय वन प्रजातियों का रोपण करके बैरिकेड से 7.5 मीटर की परिधि में 'सुरक्षा क्षेत्र' बनाया जाना है ताकि वन्यजीवों की क्षति को रोका जा सके।
3. अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार 2006 के तहत निर्धारित वन वासियों के अधिकारों की रक्षा की जानी है।
4. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एवं तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या ऐसी अन्य प्रयोक्ता एंजेसियों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास सभी तटवर्ती सुविधाओं के लिए तेल बिखराव जोखिम आकलन कराना है और तेल बिखराव के संभावित खतरे को रोकने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से उपयुक्त विद्यमान सुविधाओं में आवश्यक संशोधन करने या नई सुविधाओं की स्थापना करने के लिए योजना बनाना है।
5. पाइपलाइन सुविधाओं और दबाव सेंसर, रिमोट कंट्रोल्ड मोटराइज्ड वाल्व और पंप के लिए रिमोट शट ऑफ सुविधाएं जैसी सुविधाओं की स्थापना सहित अन्य सभी अपेक्षित मामलों में रिसाव का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा प्राप्ति प्रणाली (एससीएडीए) स्थापित की जानी है।
6. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एंजेसियों द्वारा तेल बिखराव को रोकने संबंधी आकस्मिक योजना और उसे बंद करने के लिए उपशमन उपायों संबंधी अनुमोदित मानक प्रचालन प्रकिया (एसओपी) की एक प्रति भेजी जानी है।
7. अनुमोदित एस ओ पी के अनुसार, जैव-उपचार प्रौद्योगिकी/ अन्य प्रणालियों के द्वारा स्थल को उसकी सामान्य स्थिति में बहाल करने सहित दुर्घटनावश तेल बिखराव के कारण आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए उचित उपाय अपनाएं जाने है।
8. एस ओ पी में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार तेल बिखराव की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रचालन कार्य में लगे कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना है।
9. दुर्घटना / अन्य घटनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए खुदाई के दौरान ब्लो प्रिवेंशन पद्धति (बीओपी) और उत्पादन सुविधाओं में वाल्वों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
10. स्वचालित बंदी कारवाईयां आरंभ करने के लिए सभी सुविधाओं में आपातकालीन बंदी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. गैस की गति को न्यूनतम किया जाना चाहिए और गैस की अपरिहार्य लपटों के लिए सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय पद्धतियां अपनायी जानी चाहिए।
12. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और असम वन विनियमन, 1891 में यथा निर्धारित सभी शर्तो का पालन किया जाना है।
13. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एवं तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निर्धारित शर्तो का पालन किया जाना है।
14. सतही जल के संदूषण से बचने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने हैं।
15. संवेदी क्षेत्रों में ध्वनि स्तर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित किया जाना है।
16. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था 24x7 आधार पर होनी चाहिए।

17. क्षेत्र के चारों ओर दैनिक इ एवं पी क्रियाकलापों के बारे में स्थानीय वनपालकों/ डीएफओ के साथ नियमित बातचीत की जानी चाहिए।
18. अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थानीय निगरानी समिति के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
19. इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी सम्पूर्ण व्यय का निवर्हन ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एवं तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया जाना है।

[फा.सं. 25/181/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ .सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक-VI

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन-वार)। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न किया जाए:
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार: विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें:
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार:
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4064(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1364(E), dated 8th April, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within a the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Barail Wildlife Sanctuary situated in the Barail Hill Range on the transitional zone between Indian sub-region and Indo-Chinese sub region in Cachar District and Dima Hasao Districts of Assam located 25 kilometre away from Silchar town and surrounded by tea gardens from the Southern side;

AND WHEREAS, the Barail Wildlife Sanctuary situated in Cachar District of State of Assam consists of Barail Reserve Forest (Notified as Reserve Forest in *vide* No. 2337 R dated 16th June, 1902 with an area of 89.7975 square kilometres) and North Cachar Reserve Forest (Notified as Reserved Forest *vide* No. 5412 R dated 15th December, 1915 with an area of 239.905 square kilometres) and located within the geographical limits of 24°58' N to 25°5' N latitudes and 92°46' to 92°52' E and is spread over an area of 326.255 square kilometres notified vide Government of Assam Notification No. FRW.11/2004/25 dated 19th June, 2004 as a Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Barail Wildlife Sanctuary falls in the North East hills (9B) of the Northeast India Biogeography Zone (9) and the Sanctuary lies on the transitional zone between India sub-region and Indo-Chinese sub region of oriental origin, and according to Champion and Seth classification the forest type falls under 1BC 3-Cachar Tropical Semi evergreen, Wet evergreen Cane Brakes (1BC3E1), Maacarango Mallotus Trema association (1/2S1), Moist Bamboo Brakes (2/2S1), Tropical Hill Valley Swamp Forests (I /S2) and Baringtonia Swamp forests (SS2);

AND WHEREAS, the floral biodiversity of Barail Wildlife Sanctuary comprises of 81 species of trees and 8 species of bamboo and several species of herbs and shrubs. Some of the flora species available in the Barail Wildlife Sanctuary are *Aquilaria agallocha* (agar), *Spondias mangeferae* (amora), *Vitex species* (awal), *Elcocaprue gloribundus* (jalpai), *Sapium baccatum* (bella), *Alstonia scholaris* (chatim), *Hibiscus macrophullus* (chamia), *Artocarpus lakoocha* (dewa), *Dipterocarpus turbunatus* (garjan), *Terminalia chebula* (hartaki), *Barintonia acutangula* (hizal), *Sterculia alata* (jangli badam), *Podocarpus nerifolia* (jinari), *Garugo pinnata* (kayengla), *Artocarpus integrifolia* (katal), *Flacourtia cataphractu* (lukuki), *Albizzia spp.* (moroi), *Cynometra polyandra* (ping), *Amora wallilchii* (rata), *Albizzia procera* (siris), *Lophophetalum fimbriautum* (sutrong), etc;

AND WHEREAS, the Barail Wildlife Sanctuary is the only protected area in the Barak valley of Assam with rich biodiversity and habitat for wildlife and supports among others 19 species of mammals, 8 species of primates, 250 species of avifauna, 23 species of amphibians and 43 species of reptiles which are globally rare, vulnerable, and endangered species. Major fauna recorded from the Barail Wildlife Sanctuary are *Manis pentadactyla* (Chinese pangolin), *Pteropus giganteus* (flying fox), *Nyctichus coucang* (slow loris), *Macaca arctoides* (stump tailed macaque), *Macaca nemestrina* (pig tailed macaque), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Macana mulatta* (Rhesus macaque), *Presbytis pileatus* (capped langur), *Holybates hoolock* (Hoolock gibbon), *Ursus thibetanus* (Asiatic black bear), *Arctonix collaris* (hog badger), *Felis chaus* (jungle cat), *F. bengalensis* (leopard cat), *F. viverrinus* (fishing cat), *F. marmorata* (marbled cat), *F. tenminchi* (golden cat), *Neoefelis nebulosa* (clouded leopard), *Panthera pardus* (leopard), *Sus scrofa* (wild pig), *Capricornis sumatraensis* (serow), *Ratufa bicolour* (Malayan giant squirrel), *Callosciurus pygerythrus* (Irrawaddy or Himalayan horny-bellied squirrel), *Rhizomys pruinosus* (hoary bamboo cat), *Hystrex brachyuran* (crestless Himalayan porcupine), *Rousettas usehenaulti* (fruit bat), *Mus booduya* (field mouse), *Blandus blandfordi* (wood rat), *Viverra zibetha* (indian civet), *Cervus unicotor* (sambar), *Cannomys badius* (bamboo rat), *Talpa micrura* (mole), *Cervus porcinus* (hog deer), *Nemorhaacdus spp.* (the ghoral), *Canis auvenus* (jackal), *Lutra lutra* (common otter), etc;

AND WHEREAS, the Barail Wildlife Sanctuary has immense research, recreational and educational values and increase in biotic pressure in the fringe areas may affect the habitat of the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Barail Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 3 kilometres around the boundary of Barail Wildlife Sanctuary, in Cachar District in the State of Assam as the Barail Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 3 kilometres around the boundary of Barail Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 596.311 square kilometres. The key justification for limiting the Eco-Sensitive Zone to zero extent from the protected area is due to interstate boundary with the State of Meghalaya in the western side of the protected area. Further, there is presence and prospecting of oil and natural gas in the immediate vicinity of the protected area boundary, in view of which a set of measures for safe oil and natural gas exploration and drilling have been prescribed at the **Annexure V.**

(2) The boundary description of Barail Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Barail Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Barail Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment and Forest;

(ii) Tourism;

(iii) Agriculture;

(iv) Horticulture;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Public Works Department;

(viii) Urban Development;

(ix) Rural Development;

(x) Water Resources, Irrigation and Flood Control;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Assam State Pollution Control Board; and

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying, soil excavation, and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills, veneer mills or other wood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
5.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
6.	Use of polythene bags.	Prohibited.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
8.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.

24.	Security Forces Camp or Army establishment.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
28.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Change of agriculture system.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	The Deputy Commissioner, Cachar	Chairman, *ex officio;*
(ii)	Representative of Principal Secretary (N), North Cachar Hills Autonomous Council, Haflong	Member;
(iii)	The Divisional Forest Officer, Karimganj Division	Member, *ex officio;*
(iv)	The Division of Forest Officer, Dima Hasao (West) ForestDivision	Member, *ex officio;*
(v)	The Regional Ex Eng, RLO, Pollution Control Board, Silchar	Member, *ex officio;*
(vi)	The Deputy Chief Engineer, N.F. Railways, Silchar	Member, *ex officio;*
(vii)	The Executive Engineer, N.H. Division, Silchar	Member, *ex officio;*
(viii)	The District Transportation Officer, Cachar	Member, *ex officio;*

(ix)	The District Agriculture Officer, Cachar	Member, *ex officio;*
(x)	The District Veterinary Officer, Cachar	Member, *ex officio;*
(xi)	The District Fisheries Development Officer, Cachar	Member, *ex officio;*
(xii)	The General Manager, DICC, Cachar	Member, *ex officio;*
(xiii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period of 3 years	Member;
(xiv)	One representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of 3 years	Member;
(xv)	The Divisional Forest Officer, Cachar Division	Member-Secretary, *ex officio.*

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure VI.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/181/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BARAIL WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF ASSAM

East: The eastern boundary of the ESZ boundary start from GPS Point No.1 (92° 52' 36.494" E, 25° 5' 2.012" N), From GPS Point No. 1 the boundary runs towards south crossing GPS Point No. 2 (92° 53' 8.792" E 25° 4' 42.736" N) to 15 (92° 52' 41.651" E 24° 57' 37.742" N) and meets GPS Point No. 16 (92° 52' 14.279" E, 24° 57' 12.998" N).

South: From GPS Point No. 16 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 17 (92° 51' 37.015" E 24° 57' 3.113" N) to 26 (92° 46' 4.803" E 24° 57' 33.555" N), and meets GPS Point No.27 (92° 45' 27.423" E, 24° 57' 41.195" N). From GPS Point No. 27 the boundary runs towards north crossing GPS Point No. 28 and meets GPS Point No. 29 (92° 45' 23.668" E, 24° 59' 2.527" N). From GPS Point No. 29 the boundary runs towards north along the National Highway crossing GPS Point No. 30 (92° 45' 14.741" E 24° 59' 4.976" N) to 36 (92° 44' 51.882" E 25° 0' 25.316" N) and meets GPS Point No.37 (92° 45' 13.615" E, 25° 0' 37.617" N). From GPS Point No. 37 the boundary runs towards east crossing the Jatinga River and meets GPS Point No. 38 (92° 44' 56.565" E, 25° 0' 43.941" N). From GPS Point No. 38 the boundary runs towards south along the NF Railway and meets GPS Point No. 39 (92° 44' 13.767" E, 25° 0' 31.680" N). From GPS Point No. 39 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 40 (92° 43' 46.943" E 25° 1' 5.416" N) to 52 (92° 37' 43.348" E 24° 59' 57.798" N) and meets GPS Point No. 53 (92° 36' 47.973" E, 25° 0' 9.067" N). From GPS Point No. 53 the boundary runs towards north along the Larang River crossing GPS Point No. 54 and meets GPS Point No.55 (92° 37' 14.070" E, 25° 0' 34.279" N). From GPS Point No.55 the boundary runs towards west crossing Larang River and meets GPS Point No. 56 (92° 37' 6.727" E, 25° 0' 36.774" N). From GPS Point No. 56 the boundary runs towards south along the Larang river and meets GPS point No. 57 (92° 36' 53.661" E, 25° 0' 12.418" N). From GPS Point No. 57 the boundary runs towards west crossing GPS Point No. 58 (92° 36' 15.937" E 25° 0' 19.032" N) to 66 (92° 31' 44.823" E 25° 0' 15.833" N) and meets GPS Point No. 67 (92° 30' 46.097" E, 25° 0' 52.365" N). From GPS Point No. 67 the boundary runs towards north along the Gumra River and meets GPS Point No. 68 (92° 31' 5.141" E, 25° 1' 24.051" N). From GPS Point No. 68 the boundary runs towards west crossing Gumra River and meets GPS point No. 69 (92° 31' 2.780" E, 25° 1' 28.344" N). From GPS point No. 69 the boundary runs towards south along the Gumra River and meets GPS Point No. 70 (92° 30' 40.834" E, 25° 0' 58.514" N). From GPS Point No. 70 the boundary runs towards west crossing GPS Point No. 71 (92° 30' 35.137" E 25° 1' 6.428" N) to 74 (92° 28' 44.892" E 25° 0' 9.740" N) and meets GPS Point No.75 (92° 27' 45.539" E, 25° 0' 22.020" N). From GPS Point No. 75 the boundary runs towards north along the river crossing GPS Point No. 76 and meets GPS Point No. 77 (92° 28' 4.944" E, 25° 0' 53.762" N). From GPS Point No. 77 the boundary run towards west crossing GPS Point No. 78 (92° 27' 25.103" E 25° 1' 1.606" N) to 80 (92° 26' 9.859" E 25° 0' 25.834" N) and meets GPS Point No.81 (92° 25' 32.166" E, 25° 0' 30.823" N).

West: From GPS Point No. 81 the boundary runs towards north and meets GPS Point No. 82 (92° 25' 33.749" E, 25° 1' 6.598" N) which is located at Wildlife Sanctuary boundary. From GPS point No. 82 the boundary runs towards north along the Wildlife Sanctuary boundary crossing GPS Point No. 83 (92° 25' 37.675" E 25° 1' 31.338" N) to 98 (92° 28' 47.001" E 25° 5' 53.586" N) and meets GPS Point No. 99 (92° 28' 49.357" E, 25° 6' 28.548" N).

North: From GPS Point No. 99 the boundary runs towards east long the Wildlife Sanctuary boundary crossing GPS Point No. 100 (92° 29' 23.829" E 25° 6' 30.282" N) to GPS No. 104 (92° 31' 44.497" E 25° 6' 6.968" N) and meets GPS Point No. 105 (92° 32' 20.447" E, 25° 5' 56.518" N). From GPS Point No. 105 the boundary runs towards north crossing GPS Point No. 106 (92° 32' 5.614" E 25° 6' 27.267" N AND 107 (92° 31' 43.301" E 25° 6' 55.658" N) and meets GPS Point No. 108 (92° 31' 27.517" E, 25° 7' 25.644" N). From GPS Point No. 108 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 109 (92° 32' 4.944" E 25° 7' 15.835" N) to 141(92° 48' 17.352" E 25° 6' 0.581" N) and meets GPS Point 142 (92° 48' 40.105" E, 25° 5' 44.923" N). From GPS Point No. 142 the boundary runs towards south along the NF Railway and meets GPS Point No. 143 (92° 48' 5.994" E, 25° 5' 29.238" N). From GPS Point No. 143 the boundary run towards east crossing GPS Point No. 144 (92° 48' 48.355" E 25° 5' 8.464" N) to 150 (92° 51' 57.942" E 25° 5' 6.062" N) and finally meets GPS Point No.1 (92° 52' 36.494" E, 25° 5' 2.012" N).

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BARAIL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

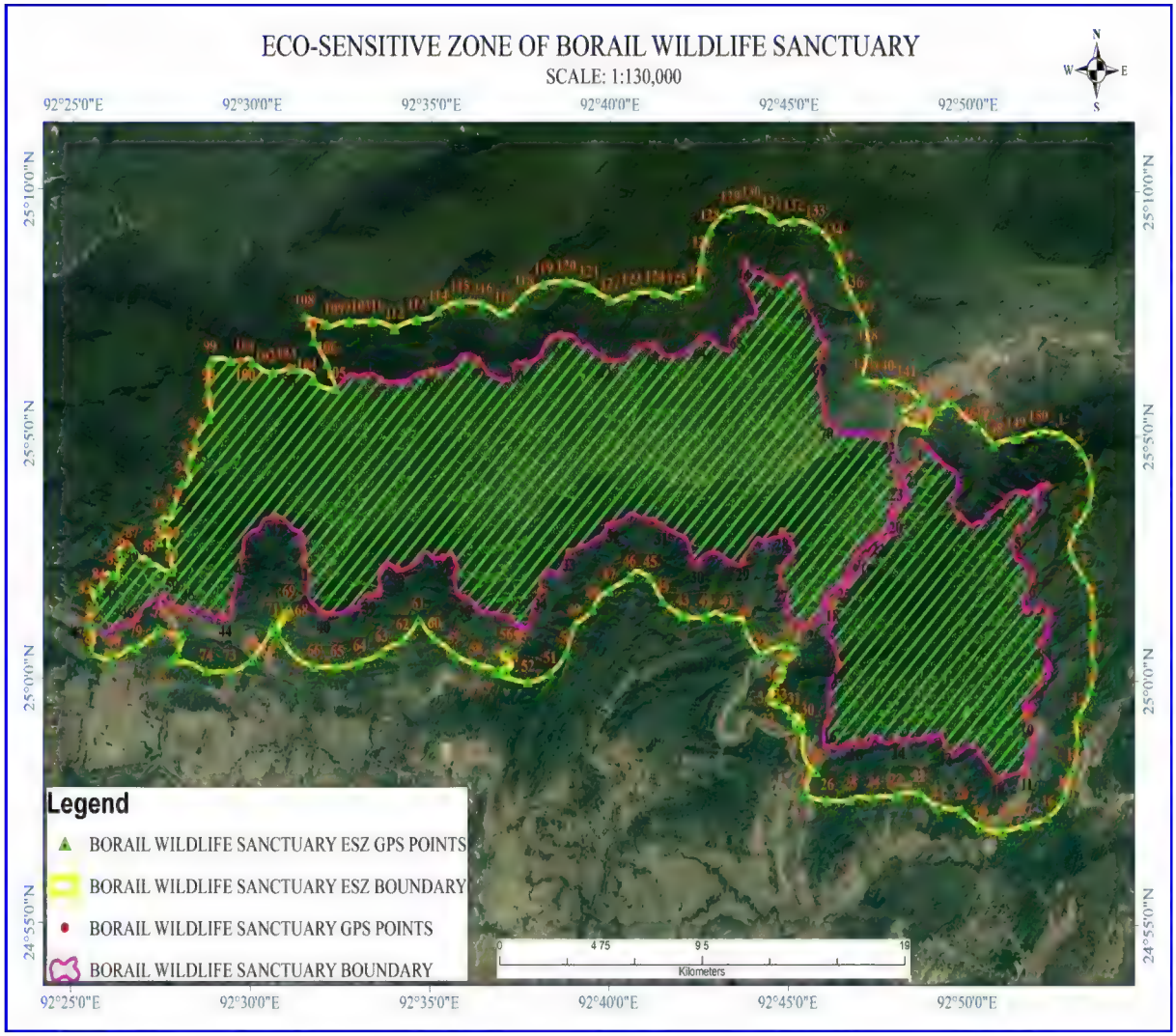

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BARAIL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

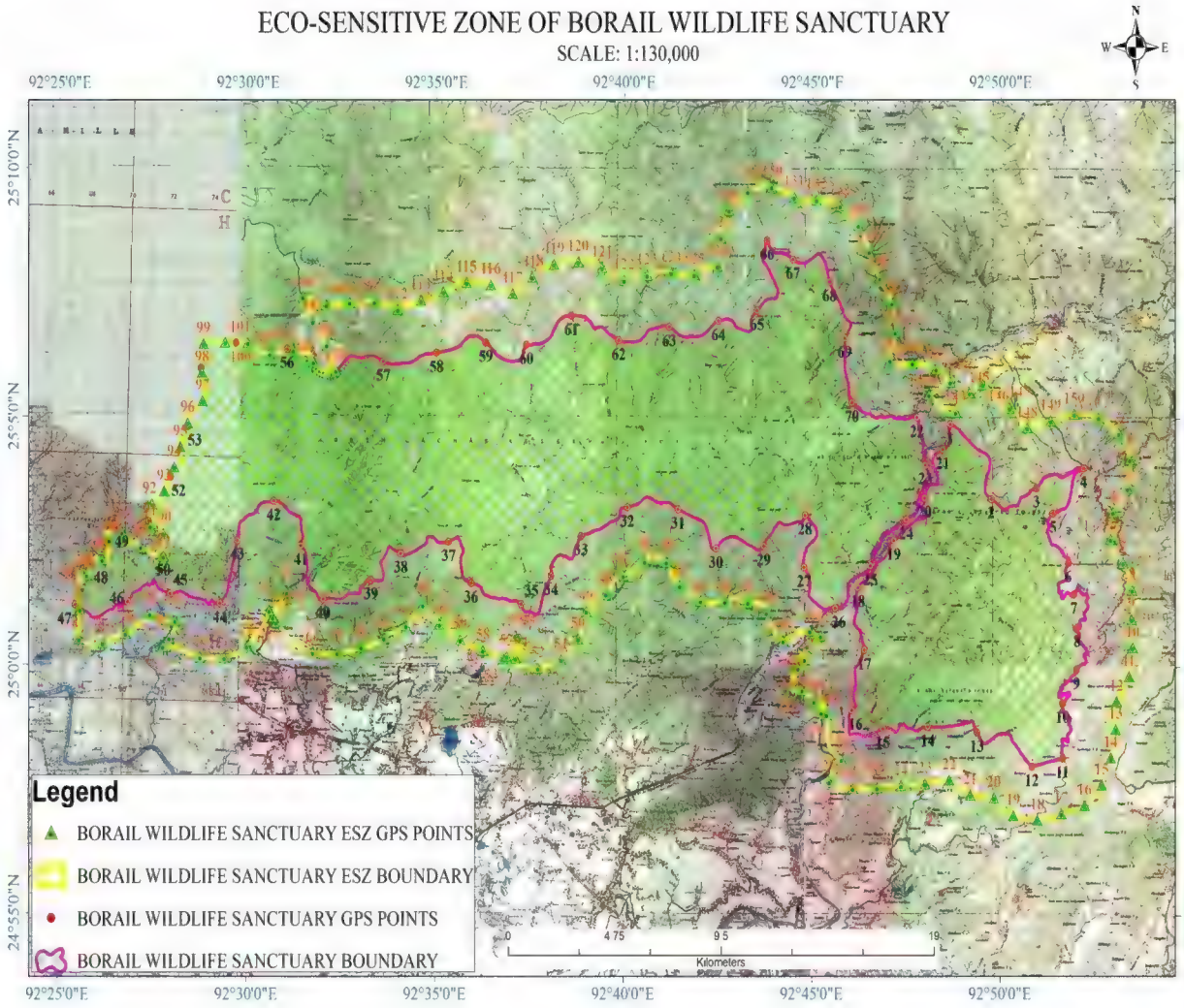

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BARAIL WILDLIFE SANCTUARY

GPS points	Longitude	Latitude
1	92.8103250853253	25.0811717867431
2	92.8278382333771	25.0705121586135
3	92.8348438255207	25.0526187570534
4	92.8704403390821	25.0663251715014
5	92.8587021036775	25.039924923856
6	92.8701464205363	25.0173767687713
7	92.86078392993	24.990301208649

8	92.8618432963257	24.9696189582404
9	92.8259132104136	24.9742581806827
10	92.7676637652576	24.9767554371897
11	92.7711964187208	25.0119477289407
12	92.7887109000538	25.0441231482696
13	92.8052076257981	25.0616969423759
14	92.7959957753587	25.0837929916616
15	92.8008385118761	25.0625885274598
16	92.7782103299885	25.0395786858455
17	92.7608555440513	25.019694390066
18	92.7473864187203	25.0510185071123
19	92.7065121989305	25.0393583227672
20	92.6656183323375	25.0527776498989
21	92.6445699692625	25.0359496801513
22	92.6281045096891	25.0171516106786
23	92.5704400016235	25.0369285147071
24	92.5269245368196	25.0346656710117
25	92.4992545380565	25.0489394651232
26	92.4874517072548	25.0204585888499
27	92.4600795185805	25.0354497206333
28	92.4658909039974	25.0630623815299
29	92.4776240927393	25.0859649218181
30	92.4807465735694	25.1092242063029
31	92.513464371296	25.1044659518908
32	92.5556999427585	25.1037232295053
33	92.5987833917794	25.1103107306561
34	92.6335976279088	25.1096734635616
35	92.6661219999337	25.1089305433045
36	92.7074177796566	25.1154697456905
37	92.7342339148554	25.1236548385221
38	92.7294745003673	25.1431365737677
39	92.7578414887148	25.1290257518136
40	92.7642157579866	25.101496722367

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

GPS point	Longitude	Latitude	GPS point	Longitude	Latitude
1	92° 52' 36.494" E	25° 5' 2.012" N	76	92° 27' 55.638" E	25° 0' 32.771" N
2	92° 53' 8.792" E	25° 4' 42.736" N	77	92° 28' 4.944" E	25° 0' 53.762" N
3	92° 53' 25.796" E	25° 4' 11.199" N	78	92° 27' 25.103" E	25° 1' 1.606" N
4	92° 53' 22.324" E	25° 3' 36.205" N	79	92° 26' 46.110" E	25° 0' 37.842" N
5	92° 52' 59.806" E	25° 3' 7.679" N	80	92° 26' 9.859" E	25° 0' 25.834" N
6	92° 52' 55.195" E	25° 2' 35.101" N	81	92° 25' 32.166" E	25° 0' 30.823" N
7	92° 53' 15.572" E	25° 2' 6.206" N	82	92° 25' 33.749" E	25° 1' 6.598" N
8	92° 53' 29.881" E	25° 1' 33.471" N	83	92° 25' 37.675" E	25° 1' 31.338" N
9	92° 53' 29.134" E	25° 0' 58.091" N	84	92° 25' 43.997" E	25° 1' 48.068" N
10	92° 53' 30.771" E	25° 0' 23.851" N	85	92° 26' 8.796" E	25° 2' 6.954" N
11	92° 53' 25.037" E	24° 59' 49.032" N	86	92° 26' 19.531" E	25° 2' 30.403" N
12	92° 53' 5.387" E	24° 59' 18.756" N	87	92° 26' 40.117" E	25° 2' 39.976" N
13	92° 53' 3.907" E	24° 58' 45.309" N	88	92° 27' 10.126" E	25° 2' 22.498" N
14	92° 52' 56.020" E	24° 58' 10.671" N	89	92° 27' 46.327" E	25° 2' 11.322" N
15	92° 52' 41.651" E	24° 57' 37.742" N	90	92° 27' 45.819" E	25° 2' 39.117" N
16	92° 52' 14.279" E	24° 57' 12.998" N	91	92° 27' 25.048" E	25° 2' 47.751" N
17	92° 51' 37.015" E	24° 57' 3.113" N	92	92° 27' 28.238" E	25° 3' 14.578" N
18	92° 50' 58.940" E	24° 56' 55.499" N	93	92° 27' 47.208" E	25° 3' 30.176" N
19	92° 50' 20.854" E	24° 57' 0.856" N	94	92° 28' 2.951" E	25° 3' 59.265" N
20	92° 49' 50.054" E	24° 57' 22.305" N	95	92° 28' 12.912" E	25° 4' 23.675" N
21	92° 49' 12.146" E	24° 57' 25.883" N	96	92° 28' 24.232" E	25° 4' 52.730" N
22	92° 48' 38.965" E	24° 57' 43.551" N	97	92° 28' 48.003" E	25° 5' 19.475" N
23	92° 48' 0.534" E	24° 57' 39.443" N	98	92° 28' 47.001" E	25° 5' 53.586" N
24	92° 47' 21.895" E	24° 57' 36.729" N	99	92° 28' 49.357" E	25° 6' 28.548" N
25	92° 46' 43.596" E	24° 57' 34.334" N	100	92° 29' 23.829" E	25° 6' 30.282" N
26	92° 46' 4.803" E	24° 57' 33.555" N	101	92° 30' 0.007" E	25° 6' 29.812" N
27	92° 45' 27.423" E	24° 57' 41.195" N	102	92° 30' 35.019" E	25° 6' 16.625" N
28	92° 45' 46.603" E	24° 58' 8.537" N	103	92° 31' 12.428" E	25° 6' 21.087" N
29	92° 45' 23.668" E	24° 59' 2.527" N	104	92° 31' 44.497" E	25° 6' 6.968" N
30	92° 45' 14.741" E	24° 59' 4.976" N	105	92° 32' 20.447" E	25° 5' 56.518" N
31	92° 45' 3.061" E	24° 59' 18.541" N	106	92° 32' 5.614" E	25° 6' 27.267" N
32	92° 44' 44.276" E	24° 59' 32.038" N	107	92° 31' 43.301" E	25° 6' 55.658" N
33	92° 44' 27.340" E	24° 59' 40.413" N	108	92° 31' 27.517" E	25° 7' 25.644" N
34	92° 44' 38.013" E	24° 59' 58.342" N	109	92° 32' 4.944" E	25° 7' 15.835" N
35	92° 44' 47.980" E	25° 0' 9.136" N	110	92° 32' 42.294" E	25° 7' 19.103" N
36	92° 44' 51.882" E	25° 0' 25.316" N	111	92° 33' 21.258" E	25° 7' 19.665" N
37	92° 45' 13.615" E	25° 0' 37.617" N	112	92° 33' 58.802" E	25° 7' 10.746" N
38	92° 44' 56.565" E	25° 0' 43.941" N	113	92° 34' 35.798" E	25° 7' 21.672" N

39	92° 44' 13.767" E	25° 0' 31.680" N	114	92° 35' 11.623" E	25° 7' 32.394" N
40	92° 43' 46.943" E	25° 1' 5.416" N	115	92° 35' 48.208" E	25° 7' 43.606" N
41	92° 43' 17.664" E	25° 1' 17.889" N	116	92° 36' 26.995" E	25° 7' 40.993" N
42	92° 42' 40.997" E	25° 1' 18.928" N	117	92° 37' 2.146" E	25° 7' 30.644" N
43	92° 42' 2.362" E	25° 1' 19.652" N	118	92° 37' 32.932" E	25° 7' 50.176" N
44	92° 41' 29.234" E	25° 1' 37.743" N	119	92° 38' 7.573" E	25° 8' 6.111" N
45	92° 41' 7.763" E	25° 2' 6.535" N	120	92° 38' 46.415" E	25° 8' 9.058" N
46	92° 40' 33.364" E	25° 2' 6.943" N	121	92° 39' 24.591" E	25° 8' 2.415" N
47	92° 39' 59.118" E	25° 1' 50.053" N	122	92° 39' 59.581" E	25° 7' 47.013" N
48	92° 39' 31.196" E	25° 1' 27.344" N	123	92° 40' 36.055" E	25° 7' 53.240" N
49	92° 39' 0.142" E	25° 1' 6.780" N	124	92° 41' 14.706" E	25° 7' 56.339" N
50	92° 38' 47.197" E	25° 0' 33.358" N	125	92° 41' 51.260" E	25° 7' 53.604" N
51	92° 38' 20.299" E	25° 0' 8.061" N	126	92° 42' 28.373" E	25° 8' 4.263" N
52	92° 37' 43.348" E	24° 59' 57.798" N	127	92° 42' 33.874" E	25° 8' 38.596" N
53	92° 36' 47.973" E	25° 0' 9.067" N	128	92° 42' 46.806" E	25° 9' 11.802" N
54	92° 37' 7.761" E	25° 0' 9.793" N	129	92° 43' 16.369" E	25° 9' 34.435" N
55	92° 37' 14.070" E	25° 0' 34.279" N	130	92° 43' 54.497" E	25° 9' 40.175" N
56	92° 37' 6.727" E	25° 0' 36.774" N	131	92° 44' 30.617" E	25° 9' 27.783" N
57	92° 36' 53.661" E	25° 0' 12.418" N	132	92° 45' 6.073" E	25° 9' 24.510" N
58	92° 36' 15.937" E	25° 0' 19.032" N	133	92° 45' 43.832" E	25° 9' 17.019" N
59	92° 35' 39.661" E	25° 0' 31.732" N	134	92° 46' 12.894" E	25° 8' 53.779" N
60	92° 35' 6.692" E	25° 0' 50.400" N	135	92° 46' 30.329" E	25° 8' 22.183" N
61	92° 34' 39.797" E	25° 1' 13.790" N	136	92° 46' 46.919" E	25° 7' 50.366" N
62	92° 34' 13.246" E	25° 0' 48.335" N	137	92° 47' 6.783" E	25° 7' 19.919" N
63	92° 33' 38.287" E	25° 0' 33.544" N	138	92° 47' 12.059" E	25° 6' 44.985" N
64	92° 33' 1.680" E	25° 0' 22.266" N	139	92° 47' 3.693" E	25° 6' 10.628" N
65	92° 32' 23.732" E	25° 0' 15.179" N	140	92° 47' 39.396" E	25° 6' 7.490" N
66	92° 31' 44.823" E	25° 0' 15.833" N	141	92° 48' 17.352" E	25° 6' 0.581" N
67	92° 30' 46.097" E	25° 0' 52.365" N	142	92° 48' 40.105" E	25° 5' 44.923" N
68	92° 31' 5.141" E	25° 1' 24.051" N	143	92° 48' 5.994" E	25° 5' 29.238" N
69	92° 31' 2.780" E	25° 1' 28.344" N	144	92° 48' 48.355" E	25° 5' 8.464" N
70	92° 30' 40.834" E	25° 0' 58.514" N	145	92° 49' 10.392" E	25° 5' 31.664" N
71	92° 30' 35.137" E	25° 1' 6.428" N	146	92° 49' 32.006" E	25° 5' 42.032" N
72	92° 29' 59.312" E	25° 0' 22.815" N	147	92° 50' 14.485" E	25° 5' 13.263" N
73	92° 29' 23.780" E	25° 0' 9.163" N	148	92° 50' 42.554" E	25° 4' 49.403" N
74	92° 28' 44.892" E	25° 0' 9.740" N	149	92° 51' 20.239" E	25° 4' 58.125" N
75	92° 27' 45.539" E	25° 0' 22.020" N	150	92° 51' 57.942" E	25° 5' 6.062" N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BARAIL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the village/Tea Garden	Latitude	Longitude
1	Indranagar	24^0 59'12.1" N	92^0 51'50.0" E
2	Siristhal	24^0 57'51.8" N	92^0 51'31.3" E
3	Satyanagar	24^0 58'07.5" N	92^0 51'58.1" E
4	MuldamPunjee	24^0 57'32.4" N	92^0 52'12.6" E
5	Germadisa	24^0 57'24.4" N	92^0 51'12.7" E
6	Telacherra	24^0 58'19.4" N	92^0 47'54.0" E
7	Marwacherra	24^0 58'22.3" N	92^0 46'02.0" E
8	Devinala	25^0 02'31.3" N	92^0 47'01.7" E
9	Kachukhal	25^0 01'02.5" N	92^0 46'11.8" E
10	Durbin Tilla	25^0 01'58.9" N	92^0 46'41.6" E
11	Durgacherra	25^0 01'28.2" N	92^0 46'16.9" E
12	Banderkhal	25^0 03'28.1" N	92^0 48'08.2" E
13	Honumanthal	25^0 00'17.8" N	92^0 31'48.5" E
14	Rajib Nagar	25^0 01'22.0" N	92^0 28'14.3" E
15	Bolacherra	25^0 00'40.8" N	92^0 33'45.8" E
16	New Malidhar, Malidhar	25^0 01'40.8" N	92^0 27'42.9" E
17	Makicherra, Isacherra	25^0 01'14.4" N	92^0 30'88.3" E
18	Lakhicherra	25^0 01'20.4" N	92^0 29'13.1" E
19	Amarnagar tea garden	24^0 58'28.5" N	92^0 52'01.0" E
20	Damcherra Tea Garden	25^0 00'44.0" N	92^0 45'08.9" E
21	Gumrah Tea Garden	25^0 00'59.6" N	92^0 28'10.3" E

ANNEXURE –V

MEASURES FOR SAFE OIL AND NATURAL GAS EXPLORATION AND DRILLING IN AND AROUND ECO-SENSITIVE ZONE GUIDELINES FOR USER AGENCIES

1. Biodiversity Impact Assessment study to be conducted around the Protected Area, the notified Eco-sensitive Zone area, and any area falling in Indo-Burma Biodiversity Hotspot and Notified Indian Bird Area (IBA) in the 10 kilometers vicinity of the Protected Area. The study has to be undertaken through agencies of repute to safe guard the environment and the wildlife habitats around the Protected Area, covering important flora and fauna, terrestrial as well as aquatic and also covering flagship species such as Gangetic dolphin, Asiatic elephant, Rhino, tiger, leopard, Asiatic wild buffalo, eastern swamp deer, etc.
2. Operating well plinths in the vicinity of the National Park and Wildlife Sanctuaries are to be covered with 10 ft high barricade around them and 'Safety Zone' to be created at radius of 7.5 metres from the barricade by providing Chain Link Fencing or Power fencing and indigenous fruit trees and other local forest species to be planted in the said area, in order to prevent injuries to wildlife.
3. Rights of forest dwellers to be protected as prescribed under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Rights Act, 2006.

4. Oil India Limited (OIL) or Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) or other such user agencies have to conduct Oil Spill Risk Assessment for all onshore facilities around the National Park and Wildlife Sanctuary and plan for necessary modification of existing facilities or installation of new facilities which are found to bepotentially hazard to Oil spills.

5. Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) to be installed for leak detection of the Pipeline facilities and all other required cases including installation of facilities like pressure sensors, Remote Controlled Motorised valves and Remote Shut Off facilities for pumps etc.

6. Oil India Limited (OIL) or Oil and Natural Gas Corporation or other such user agencies to submit a copy of approved Standard Operating Procedure (SOP) for restricting Oil Spillage Contingency plan and mitigation measures for arrest the same.

7. Appropriate measures to be adopted to restrict impacts on surroundings due to accidental Oil Spillages including restoration of site to its normalcy with Bio-remediation technology/others, as per approved SOP.

8. Operation personnel are to be trained adequately for effective handling of Oil Spill incidents asper guidelines specified in SOP.

9. Erection of Blow Prevention System (BOP) during drilling phase and valves in Production facilities to be ensured in order to avoid environmental damages due to accident/ other incidents.

10. An emergency shutdown system should be in place in all facilities to initiate automatic shutdown actions.

11. Gas flaring has to be minimized and best international practices to be adopted for flaring of gases which are un-avoidable.

12. Oil India Limited (OIL) or Oil and Natural Gas Corporation or other such user agencies have to comply with all stipulated conditions as framed under Environment Impact Assessment Notification, 2006, Forest (Conservation) Act,1980, Wildlife (Protection) Act,1972 and the Assam Forest Regulation, 1891.

13. Oil India Limited (OIL)/ Oil and Natural Gas Corporation or other such user agencies have to strictly comply with the conditions stipulated in Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

14. Precautionary measures to be taken to avoid contamination of surface water.

15. Noise levels for the sensitive areas to be restricted to limit as prescribed by the State Pollution Control Board.

16. Fire Fighting arrangement are to be kept standby on 24x7 basis to meet the eventualities in caseso arises.

17. Regular interaction to be established with local Rangers/ DFOs for day to day E & P activities around the area.

18. The directions of the local Monitoring Committee of the notified Eco-sensitive Zone shall be adhered to.

19. All expenses in the implementation of these Guidelines to be borne by the Oil India Limited (OIL) or Oil and Natural Gas Corporation or other such user agencies.

ANNEXURE –VI

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.04 22:08:57 +05'30'